पेशकार कुठेटी मिनट 16/8/11

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, स्थान फतेहगढ़।

वाद संख्या 16 /2011, धारा– 143 ज0वि0अधि0

ग्राम– बहोरा परगना– भोजपुर

तहसील सदर।

प्रबधक पुत्तू लाल मेमोरियल डिग्री कालेज जहानगंज

बनाम

उ0प्र0 सरकार/गॉव सभा बहोरा

निर्णय

प्रबन्धक/सचिव श्री पुत्तूलाल मेमोरियल डिग्री कालेज, जहानगंज ने धारा 143 ज0विअधि0 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कहा है कि ग्राम बहोरा परगना भोजपुर स्थिति गाटा संख्या 1/0.664, 2मि0/0.029, 25मि0/0.084, 27मि0/0.010, 24मि0/0.516, 29मि0/0.040, 31मि0/0.091, 23मि0/0.328, 3मि0/0.032, 28मि0/0.024, 34मि0/0.002, 35मि0/0.008, 36मि0/0.188 व 192मि0/0.124 हे0 कुल 14 किता रकवा 2.143 हे0 भूमि श्री पुत्तूलाल मेमोरियल डिग्री कालेज जहानगंज, फर्रुखाबाद के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। भूमि पर मत्स्य पालन, कुक्कट पालन अथवा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर विद्यालय का भवन बना है तथा खेल का मैदान है। अतएव प्रश्नगत उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत अकृषक भूमि घोषित किये जाने की याचना की है। वादी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र एंव खतौनीं की सत्यप्रतियॉ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थनापत्र के आधार पर तहसीलदार सदर से निर्धारित प्रारुप धारा 143 नियम 131 के अर्न्तगत आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या दिनांक 03–02–11 प्रेषित कर अवगत कराया है कि ग्राम बहोरा परगना भोजपुर स्थिति गाटा संख्या 1/0.664, 2मि0/0.029, 25मि0/0.084, 27मि0/0.010, 24मि0/0.516, 29मि0/0.040, 31मि0/0.091, 23मि0/0.328, 3मि0/0.032, 28मि0/0.024, 34मि0/0.002, 35मि0/0.008, 36मि0/0.188 व 192मि0/0.124 हे0 कुल 14 किता रकवा 2.143 हे0 भूमि श्री पुत्तू लाल मेमोरियल डिग्री कालेज जहानगंज फर्रुखाबाद के नाम बतौर संकमणीय भूमि के रुप में दर्ज है, जिसमें गाटा सख्या 1,2,3,23,24,27,28,29,31,34,35, व 36 पर विद्यालय भवन बना है तथा खेलकूद के मैदान के रुप में प्रयोग में लायी जा रही है। गाटा संख्या 192 रकवा 0.124हे0 भूमि विद्यालय से अलग है। गाटा संख्या 192 को छोडकर शेष भूमि पर मत्स्य पालन, कुक्कट पालन अथवा कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतएव ग्राम बहोरा परगना भोजपुर स्थिति गाटा संख्या 1/0.664, 2मि0/0.029, 25मि0/0.084, 27मि0/0.010, 24मि0/0.516, 29मि0/0.040, 31मि0/0.091, 23मि0/0.328, 3मि0/0.032, 28मि0/0.024, 34मि0/0.002, 35मि0/0.008, व 36मि0/0.188 कुल 13 किता रकवा 2.019 हे0 भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों साक्ष्यों का भली भॉति अवलोकन किया। इन्तखाव खतौनी की सत्य प्रतियों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि प्रबन्धक/सचिव श्री पुत्तुलाल मेमोरियल डिग्री कालेज, जहानगंज के नाम संकमणीय भमिधर के रुप में दर्ज है। तहसीलदार की आख्या के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन व कृषि

.........2

प्रबन्धक/सचिव
श्री पुत्तूलाल मेमोरियल महाविद्यालय
जहानगंज, (फर्रुखाबाद)

कार्य नहीं हो रहा है। भूमि पर विद्यालय भवन एंव खेल का मैदान है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि आराजी गाटा संख्या 1/0.664, 2मि0/0.029, 25मि0/0.084, 27मि0/0.010, 24मि0/0.516, 29मि0/0.040, 31मि0/0.091, 23मि0/0.328, 3मि0/0.032, 28मि0/0.024, 34मि0/0.002, 35मि0/0.008,व 36मि0/0.188 कुल 13 किता रकवा 2.019 हे0 पर कृषि कार्य कुक्कट पालन व मत्स्य पालन का कार्य न होने के कारण धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत अकृषक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतएव ग्राम वहोरा परगना भोजपुर स्थिति गाटा संख्या 1/0.664, 2मि0/0.029, 25मि0/0.084, 27मि0/0.010, 24मि0/0.516, 29मि0/0.040, 31मि0/0.091, 23मि0/0.328, 3मि0/0.032, 28मि0/0.024, 34मि0/0.002, 35मि0/0.008, व 36मि0/0.188 कुल 13 किता रकवा 2.019 हे0 भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के तहत अकृषक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की प्रति उप निबन्धक सदर को धारा 145 ज0वि0अधि0 के तहत निबन्धन किये जाने हेतु प्रेषित की जायें। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पात्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–

29/8/11

(अशोक कुमार लाल)
उप जिलाधिकारी सदर,
फर्रुखाबाद।

27/8/11
29/8/11
29/8/11

TRUE COPY
29-8-11
Farrukhabad

प्रबन्धक/सचिव
श्री पुत्तूलाल मेमोरियल महाविद्यालय
जहानगंज, (फर्रुखाबाद)